व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्त्व
(EDUCATIONAL IMPORTANCE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES)

आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परम्परागत स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। उनका यह विश्वास निम्नांकित तथ्यों पर आश्रित है—

1. छात्र-वर्गीकरण की नवीन विधि (Students Classification)—विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अन्तर नहीं होता है। उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अन्तर भी होते हैं। अत: उनका परम्परागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है। वस्तुत: उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों (Homogeneous Groups) में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के तीन समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। अमरीका के अधिकांश स्कूलों में इसी प्रकार का विभाजन है।

मोर्स एवं विंगो (Morse and Wingo) के अनुसार, अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि यह है—(1) 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार, (2) 9 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक रुचियों के अनुसार और (3) 13 वर्ष की अवस्था के बाद मानसिक योग्यताओं के अनुसार। **मोर्स एवं विंगो** (Morse and Wingo) के शब्दों में इस वर्गीकरण का आधार यह है—**"व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएँ हैं।"** यह तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। अत: केवल मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना अनुचित है।

2. व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था (Individual Coaching)—मानसिक योग्यताओं की विभिन्नताओं के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन है। अत: व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था किया जाना न केवल वांछनीय, वरन् आवश्यक है। इस विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की दो नवीन योजनाएँ आरम्भ की गई हैं—डाल्टन योजना और विनेटका योजना। इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस बात पर बल देते हुए **क्रो एवं क्रो** (Crow and Crow) ने लिखा है—**"विद्यालय का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितनी ही भिन्न क्यों न हो।"**

3. कक्षा का सीमित आकार (Limited Class Size)—जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है, तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना असम्भव हो जाता है। ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है। अत: मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। **रॉस** का कथन है—**"प्रत्येक अध्यापक की संरक्षता में छात्रों की संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली-भाँति जान सके, क्योंकि इस ज्ञान के बिना वह उनसे ऐसे कार्यों को करने को कह सकता है, जो उनमें से बहुतों के स्वभाव के अनुसार उनके लिए असम्भव हों।"**

4. शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन (Change in Teaching Methods)—सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी-पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियाँ गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए।

5. गृह-कार्य की नवीन धारणा (New Concept of Home Work)—व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अत: प्राचीन प्रथा के अनुसार सब बालकों को एक-सा गृह-कार्य देना उनके लिए अन्याय करना है। आवश्यकता इस बात की है कि गृह-कार्य देते समय उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से मन्द बुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिये जाने वाले गृह-कार्यों में अन्तर किया जाना विवेक का प्रतीक है।

6. बालकों में विशेष रुचियों का विकास (Development of Interest)—यदि सब नहीं, तो कुछ लक ऐसे अवश्य होते हैं, जिनमें कुछ विशेष रुचियाँ होती हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और नके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है। अतः शिक्षक का यह कर्त्तव्य है कि बालकों की शेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत् प्रयास करे।

7. शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान (Attention towards Physical Defects)—आधुनिक शिक्षा की माँग है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएँ। इस सम्बन्ध में **स्किनर** (Skinner) ने चार सुझाव दिये हैं—(i) जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए, (ii) निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घण्टे (Periods) निश्चित किये जाएँ, (iii) प्रत्येक बालक की डाक्टरी जाँच की जाए, (iv) प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए।

8. लिंग-भेद के अनुसार शिक्षा (Education According to Sex)—लिंग-भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अन्तर होता है। जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे यह अन्तर अधिक ही अधिक स्पष्ट होता जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य-विषय हो सकते हैं, पर माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अन्तर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है।

9. आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा (Education According to Socio-Economic Conditions)—बालकों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाएँ उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न कर देती हैं। उनके इस भेद को ध्यान में रखकर ही उनके लिए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्ध होना स्वाभाविक है।

10. पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण (Differentiation in Curricula)—विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, रुझानों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अन्तर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषयों का चयन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस विचार के समर्थन में **स्किनर** (Skinner) ने लिखा है—**''बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हों, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए।''**

सारांश यह है कि बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार के लाभ पहुँचा सकता है। उदाहरणार्थ, वह शैक्षिक निर्देशन द्वारा उपयुक्त विषयों और व्यावसायिक निर्देशन द्वारा सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने में बालकों को अपूर्व सहायता दे सकता है। इसीलिए **स्किनर** ने यह मत व्यक्त किया है—**''यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है, जिसे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किये बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए वैयक्तिक भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है।''**

"A knowledge of the nature of individual differences is essential, if the teacher is to improve the education that all children receive, regardless of their ability."

—**Skinner** (A-p. 193)